

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,

क्रमांक/सहायता/

दिनांक:

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना (अनाथ/एकल जीवित की मृत्यु से अनाथ बालक/बालिका हेतु) भुगतान स्वीकृति
आदेश

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) () मु.को.बा.वि.यो./सान्याअवि/2021/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि बालक/बालिका के पिता श्री की मृत्यु दिनांक एवं माता श्रीमती की मृत्यु दिनांक निवासी ग्राम/वार्ड तहसील/पंचायत समिति जिला की दोनों/एक की पूर्व में तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना (कोविड-19) बीमारी से हुई है,

कोरोना (कोविड-19) महामारी से अनाथ हुये बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि भुगतान करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम बालक / बालिका	आयु	पालनकर्ता (संरक्षक) का नाम	जन आधार संख्या	एक मुश्त देय अनुदान राशि	मासिक देय सहायता राशि	एक मुश्त देय वार्षिक राशि	18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एक मुश्त देय सहायता राशि	बैंक का नाम, शाखा एवं आई एफ एस सी	खाता संख्या (under guardin ship)
	कुल राशि									

उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक/अन्य सहायता हेतु भी ये पात्र होंगे:-

- 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जायेगी।
- बालक/बालिका को विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।
- कॉलेज अध्ययनरत छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजना का लाभ दिया जायेगा।
- ऐसे युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जायेगा।

जिला कलक्टर

क्रमांक/सहायता/दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. निजी सचिव, जिला कलक्टर,।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,

क्रमांक/सहायता/

दिनांक:

मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिलाओं के बच्चों हेतु) प्रशासनिक, वित्तीय एवं भुगतान स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) () मु.को.बा.वि.यो. /सान्याअवि/2021/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीके पति श्री की मृत्यु दिनांक निवासी ग्राम/वार्डतहसील/पंचायत समिति जिलाकी मृत्यु कोरोना (कोविड-19) बीमारी से हुई है,

कोरोना (कोविड-19) महामारी से विधवा हुई महिला के बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि भुगतान करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिनके बच्चों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बालक/बालिका का नाम	आयु	लिंग	जन्म तिथि	शैक्षणिक स्थिति	मासिक देय सहायता राशि	वार्षिक एक मुश्त देय अनुदान राशि
	कुल राशि						

उक्तानुसार राशि के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विधवा महिला का नाम	जन आधार संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	खाता संख्या	आईएफएससी

जिला कलक्टर

क्रमांक/सहायता/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर,।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,

क्रमांक/सहायता/

दिनांक:

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता हेतु प्रशासनिक, वित्तीय एवं भुगतान स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) () मु.को.बा.वि.यो. /सान्याअवि/2021/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीके पति श्री की मृत्यु दिनांक , निवासी ग्राम/वार्डतहसील/पंचायत समिति जिलाकी मृत्यु कोरोना (कोविड-19) बीमारी से हुई है। जिसकी निम्नानुसार राशि भुगतान करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विधवा महिला का नाम	जन आधार संख्या	Ex-Gratia अन्तर्गत एक मुश्त देय राशि	मासिक देय पेंशन राशि	बैंक का नाम एवं शाखा	खाता संख्या	आईएफएससी
	कुल राशि						

जिला कलक्टर

क्रमांक/सहायता/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर,।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी